उत्तर प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग(1)

संख्या 3837 / सी - 1 -7 (7)/75

लखनऊ, दिनांक 29 अक्टूबर, 1975.

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार ने कारागारों में कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और कैदियों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य के कारागारों में सहकारी समितियाँ गठित करने का निश्चय किया है।

2- और चूंकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 31 की उपधारा (1) में प्रत्येक सहकारी समिति के लिये एक सचिव को नियुक्त करने का उपबन्ध है।

3- और चूंकि, उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 129 में यह व्यवस्था है कि सचिव न तो प्रबंध कमेटी का सदस्य होगा और न उसे मत देने का अधिकार होगा।

4. और चूंकि उक्त नियमावली के नियम 383 में ऐसे प्रबंध कमेटी के किसी सदस्य को मानदेय देने का प्रतिषेध है।

5- और चूंकि, उक्त नियमावली के नियम 453(घ) तथा (ङ) में, उक्त नियम में उल्लिखित किसी अपराध के लिये और सिद्ध किसी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य होने का प्रतिषेध किया गया है।

6- और चूंकि सरकार की नीति के अनुसरण में कारागारों की ऐसी सहकारी समितियों में सचिव के स्थान पर एक वैतनिक प्रबंध निदेशक होगा।

7- और चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे वैतनिक प्रबंध निदेशक को नियुक्त किये जाने की व्यवस्था करना लोकहित में होगा जो ऐसी समितियों की प्रबंध कमेटियों के सदस्यों के रूप में भी कार्य करेंगे।

8- और चूंकि, राज्य के कारागारों में गठित ऐसी समस्त समितियों को उक्त अधिनियम धारा 31 की उपधारा (1) तथा उक्त नियमावली के नियम 129, 383, 453(1)(घ)(छ)(झ), (ङ) के प्रवर्तन से छूट देना समीचीन होगा।

---------- 2/

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1966) की धारा 113 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि कारागारों में गठित ऐसी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के उपबंध इस परिष्कार के साथ लागू होंगे, उक्त अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, शब्द 'सचिव' के स्थान पर शब्द 'प्रबंधक निदेशक' रखा जायेगा और उक्त नियमावली के नियम 129, 383 तथा 453 (च), (छ), (ज), (झ) के उपबंध राज्य के कारागारों में गठित ऐसी समितियों पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

ह0/- श्याम बिहारी लाल
विशेष सचिव

संख्या 3837(1)/सी-1-75, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त अधीक्षक, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर विज्ञप्ति की प्रतियाँ शासन को भेजने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से,

ह0/- श्याम बिहारी लाल
विशेष सचिव

संख्या 3837(1)/सी-1-75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) आयुक्त एवं सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(3) निबंधक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह0/- श्याम बिहारी लाल
विशेष सचिव

(... ...ाता)
... अधिकारी
कार्यालय ... निरीक्षक
... लखनऊ

आदर्श कारागार सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की आदर्श उपविधियाँ

नाम और मुख्यालय

1. इस समिति का नाम आदर्श कारागार सेवा सहकारी समिति लिमिटेड इसका रजिस्ट्री किया हुआ पता तथा मुख्यालय आदर्श कारागार --- डाकखाना जेल रोड -------- जिला - लखनऊ ---- होगा

परिभाषायें

2. (1) इन उपविधियो में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो तब तक :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) से है।

(ख) "समिति" से तात्पर्य आदर्श कारागार सेवा सहकारी समिति लि० डा० - जेल रोड - जिला - लखनऊ ---- से है।

(ग) "प्रबन्धक मंडल" का तात्पर्य समिति के संचालक मंडल से है। अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है।

(घ) "वित्तपोषक बैंक" से तात्पर्य उस शीर्ष/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंक से है, जिससे समिति सम्बद्ध हो तथा जिसने समिति के उन्नयन, मार्ग-दर्शन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व लिया हो।

(ङ) "प्रबन्धक निदेशक" का तात्पर्य समिति के प्रबन्ध निदेशक से है, जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत हुई हो।

(च) "निबन्धक" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति निबन्धक से है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (थ) में परिभाषित है।

(छ) "नियम" से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है।

(ज) "उप-विधि" का तात्पर्य समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधियों से है।

(झ) "वर्ष" का तात्पर्य सहकारी वर्ष से है, जो 1 जुलाई से आरम्भ हो कर आगामी 30 जून को समाप्त होता है।

संख्या 3106 जिला लखनऊ को नियमतः रजिस्ट्री दिनांक 22-11-75 को हुई।

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियां उ० प्र०
लखनऊ

--- 4/

For office use only
3145/9/75 P/Ret

निबंधन प्रमाण पत्र

उप निबंधक (के०)
सहकारी समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 8की उपधारा (1) के अधीन जारी किया।

प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श कारागार सेवा सहकारी समिति लि० को सहकारी समिति के रूप में निबंधित करने के लिये श्री रामकृष्ण मिश्रा-विशम्भारिद तथा अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त समिति निबंधन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित उपनिधियों सहित उक्त अधिनियम के अधीन उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपनिधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए लखनऊ जिले की संख्या 3106 के रूप में निबंधित की गयी है।

24/11/75
निबंधक/उप निबंधक (के०)
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,
लखनऊ

मुहर
दिनांक 22-11-75

प्रस्तावित समिति का पूरा नाम उल्लिखित किया जाय।

की व्यवस्था करना।

(6) समिति के पशुधन के उत्थान हेतु उन्नत सांडो, भेड़ सांडों, उन्नत पशुओं आदि की सेवायें उन्हें स्वयं रखकर अथवा अन्यत्र से उपलब्ध कराना तथा आदर्श दुग्धशाला आदि चलाना अथवा अपनी सहायता से चलवाना।

(7) आदर्श फार्म के रूप में कृषि फार्मों को चलाने हेतु तथा कृषि के आधुनिक ढंग का प्रसार करने हेतु भूमि का क्रय करना, अधिगृहीत करना अथवा पट्टे पर लेना अथवा राज्य सरकार से ऐसी शर्तों पर जो समिति एवं राज्य सरकार के बीच निश्चित की जाये, भूमि प्राप्त करना।

(8) सदस्यों को मौसमी कारोबार दिलाने हेतु सरकार, स्थानीय निकायों अथवा व्यक्तियों के साथ संविदायिक सम्बन्ध स्थापित करके उन अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्य एवं व्यवसायों को करना।

(9) सदस्यों में साधारणता, मितव्ययता, आत्म सहायता तथा सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना।

(10) सदस्यों के हित के लिये आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करना

(11) सदस्यों तथा अ-सदस्यों जिनमें सहकारी तथा व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थायें तथा शासकीय [illegible] से निक्षेप तथा ऋण लेकर पूंजी एकत्र करना।

(12) वित्त पोषक बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति से साधारणतया ऐसे अन्य कार्य करना जो सदस्यों के सामान्य हित को बढ़ावा देते हो तथा जिससे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति होकर सदस्यों की सर्वांगीण उन्नति हो।

उप निबन्धक (...) सहकारी समितियाँ ... लखनऊ

सदस्यता

5 - समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) साधारण सदस्य :-

(1) व्यक्ति।

(2) राज्य सरकार।

(ख) नाम मात्र सदस्य :-

वह वित्तपोषक बैंक जिससे समिति निबन्धक की अनुमति से ऋण ले, समिति का नाम मात्र सदस्य हो सकता है। ऐसे सदस्यों को भी 50 पैसे शुल्क देना होगा।

- - - -

(ड) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (ड) में परिभाषित है ।

(2) अधिनियम और नियमों परिभाषित शब्द और पद जिनका उपयोग इन उपविधियों में किया गया है, का जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है ।

कार्य-क्षेत्र

3. इस समिति का कार्यक्षेत्र आदर्श कारागार के बन्दियों एवं कर्मचारियों तक सीमित होगा ।

उद्देश्य

4. (क) समिति का मुख्य उद्देश्य आदर्श कारागार के बन्दियों को रोजगार, उत्पादन एवं आय बढ़ाने के लिये आवश्यक साधन एवं सेवायें जुटाकर आत्मोन्नति में सहायता करना है ।

(ख) उपरोक्त मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति निम्नलिखित कार्यों में से एक या अधिक कार्य करेगी :-

(1) समिति की अल्पकालीन, मध्यकालीन, एवं दीर्घकालीन ऋण मुख्यतः उत्पादन कार्यों के लिये उपलब्ध कराना।

(2) कृषि सम्बन्धी उपकरणों जैसे उर्वरक, बीज, खाद, यंत्र, पशु, चारा, कीटनाशक, दवायें, मत्स्य व्यवसाय उपकरण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के परिचालन के लिये कच्चे माल एवं मशीन तथा उपकरणों तथा वस्तुओं की घरेलू आवश्यकताओं एवं अन्य पूर्ति सामग्रियों को प्राप्त करना, क्रय करना तथा सदस्यों को उपलब्ध कराना।

(3) समिति के कृषि उपज, दुग्ध उत्पादन, पशु पालन, तथा मत्स्य व्यवसाय की उत्पादित वस्तुओं तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रह, क्रय तथा विक्रय का सहकारी क्रय विक्रय समितियों तथा अन्य ऐजेन्सियों द्वारा या स्वयं इस प्रकार विक्रय का प्रबन्ध करना जिससे सदस्यों को उनकी वस्तुओं का अधिक से अधिक मूल्य मिले ।

(4) कृषि दुग्ध एवं पशुपालन सम्बन्धी उत्पादनों के लिये प्रक्रियात्मक इकाइयों को प्रोत्साहन देना, स्वयं स्थापना अथवा किराये पर लेकर चलाना ।

(5) कृषि सेवा कार्यों, सदस्यों के हित के लिये कृषि यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, पावर टिलर, दुल डोयर, स्प्रेयर एवं पम्पसेट आदि को क्रय करके या किराये पर प्राप्त करके कृषि सेवा कार्यों की व्यवस्था करना तथा कृषि कार्य के लिये अन्य सेवाओं

निबन्धक (के०) की समितियाँ उ० प्र० लखनऊ

6 . कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो और आदर्श कारागार - लखनऊ - - - - - में बन्दी के रूप में दंड भोग रहा हो, समिति का साधारण सदस्य बन सकता है । आदर्श कारागार - - - - - - लखनऊ - - में नियुक्त सरकारी कर्मचारी भी समिति के सदस्य हो सकते हैं ।

7 . राज्य सरकार समिति की सदस्य हो सकती है, यदि वह समिति के उतने मूल्य के अंश, जो कि संचालक मंडल तथा राज्य सरकार के मध्य निश्चित हो, क्रय करने व उनका पूरा मूल्य चुकाने को तैयार हो ।

8 . सदस्यता के प्रार्थना पत्र समिति द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर यदि कोई हो, रु० 0.50 पैसे प्रवेश शुल्क के साथ समिति के प्रबन्ध निदेशक को दिया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना पत्र को शीघ्रातिशीघ्र संचालक मंडल के सम्मुख इस सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु रखे ।

9 . संचालक मंडल इस सम्बन्ध में सदस्यता का आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर यथासम्भव शीघ्र की दशा में तथा किसी अन्य दशा में पैंतीस दिन में आवश्यक निर्णय लेगा तथा निर्णय की तिथि से 7 दिन में प्रार्थी को निर्णय से सूचित करेगा जब तक कि उस अवधि में ऐसा करना अनिवार्यनीय परिस्थितियों में सम्भव न हो । यदि सदस्य के आवेदन पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के अन्दर कोई निर्णय नहीं लिया या सूचित किया गया हो तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्य का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है ।

10 . सदस्यता के अस्वीकार किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 1(ग) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है ।

11 . प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे । ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को 50 पैसे प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा ।

12 . सदस्य बनने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा - पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह वर्तमान उपविधियों और उसकी सदस्यता के काल मे उनमें नियमानुसार किये गये संशोधनों या परिवर्तनों से बाध्य रहेगा । ऐसे घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होंगे । जो व्यक्ति समिति के निबंधन के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य बन चुका है उसे भी समिति के निबंधित होने के बाद एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा पत्र पर निष्पादन के प्रतीक से हस्ताक्षर करने होंगे ।

- - - - - 8.

13- कोई व्यक्ति सदस्यता के किसी अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक वह उपरोक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा और जब तक कि उस सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो नियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट हों ।

14- समिति का कोई सदस्य यदि वह समिति का ऋणी नहीं है या वह किसी के ऋण का, जो अभी चुकता नहीं हुआ है, जामिन नहीं है, समिति को एक मास का नोटिस देकर, समिति की सदस्यता से पृथक हो सकता है । नोटिस अवधि व्यतीत होने के पश्चात उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर वह अपने अंशों के सम्बन्ध में समिति द्वारा देय राशियों वापसी का अधिकारी होगा ।

15- (क) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है यदि :-

(1) उसने सदस्यता के लिये अधिनियम, नियमों और उपविधियों में अपेक्षित अर्हताओं में त्रुटि हो गयी उसने कोई अयोग्यता अर्जित कर ली हो ।

(2) यदि अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन कर समिति का सदस्य बनाया गया हो ।

(3) वह दिवालिया घोषित कर दिया जाये ।

(4) उसकी सदस्यता नियम 6 के खण्ड (ग) के उपबन्धों के असंगत हो ।

(ख) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है :-

(1) यदि उसने समिति की किसी निधि या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या समिति की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई हो और ऐसे अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन दण्डित किया गया हो । प्रतिबन्ध यह है कि वह दण्डादेश के विरुद्ध अपील में छोड़ दिये जाने के पश्चात उक्त आदेश के अधीन सजा के पश्चात या अर्थ दण्ड का भुगतान करने के पश्चात जैसी भी हो उक्त समिति या किसी भी अन्य समिति का सदस्य होने के लिये अर्ह होगा ।

(2) यदि समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसार किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाये या किसी तथ्य सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो और ऐसी गलत या

- - -

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियाँ उ.प्र.
लखनऊ

दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, , अथवा उससे समिति को आर्थिक या किसी हानि अथवा अन्य कठिनाईयां हुई हों।

(3) यदि उसने समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो।

16- किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपरोक्त उपविधि के अधीन हटाना या निकालना हो, संचालक मण्डल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से यथास्थिति, हटा या निकाल दिया जाय। नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाय अथवा प्राप्त उत्तर संचालक मण्डल की राय में असंतोषजनक हो तो उक्त सदस्य संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प से यथास्थिति हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। ऐसे प्रयोजन के लिये बुलाई गई संचालक मण्डल की बैठक की कार्य सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भी भेजी जायेगी जिसे हटाना या निकालना हो और सम्बन्धित सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वयं अपने बारे में कहने का अधिकार होगा।

उपरोक्त अनुसार हटाये या निकाले गये सदस्यों को अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 1 (घ) के अन्तर्गत निबंधक को अपील करने का वैधानिक अधिकार होगा।

18- उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन हटाया या निकाला गया समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसके संचालक मण्डल में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र न होगा।

19- किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायेगी :-

(1) उसकी मृत्यु होने, या

(2) समिति से हटाये जाने या निकाले जाने या,

(3) उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने या,

... 7

उप निबन्धक (के.) सहकारी समितियाँ उ.प्र. लखनऊ

(4) उसके अंशो के निवृत होने या स्थानान्तरण पर, अथवा उसके ... एवं सभी अंशो के जप्त कर लिये जाने पर ,

'' दायित्व ''

20- समिति के समापति हो जाने की दशा में राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत स... का दायित्व अंशो के सम्बन्ध में उनके अंकित मूल्य तक सीमित रहेगा ।

'' पूंजी ''

21- समिति की पूंजी निम्नलिखित ... से एक या एक से अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है :-

(1) अंश पूंजी

(2) ऋण और अमानतें ।

(3) अनुदान और दान

(4) रक्षित निधि, अन्य निधियां तथा लाभ

(5) प्रवेश शुल्क ।

'' अंश मूल्य तथा भुगतान ''

22- (1) समिति की अधिकृत अंश पूंजी [illegible] .... 10 रु० प्रति अंश के हिसाब से 'अ' श्रेणी के तथा 1,000/- रु० प्रति अंश के हिसाब से 'ब' श्रेणी के अंशो में अंशो की राशि से बनेगी, जितने संचालक मण्डल निश्चित करे ।

(2) 'अ' श्रेणी के अंशो के मूल्य एक या एक से अधिक किस्तों में जैसा संचालक मण्डल निश्चित करें सदस्यों द्वारा देय होगा, परन्तु सदस्यों को अधिकार होगा कि यदि वह चाहें तो अंशो का पूरा मूल्य एक साथ जमा कर दें ।

(3) 'ब' श्रेणी के अंश अंश का मूल्य एक ही किस्त में राज्य सरकार द्वारा देय होगा ।

(4) समिति 'ब' श्रेणी का अंश ऐसे समय और इस प्रकार वापिस करेगी जैसा कि राज्य सरकार तथा समिति के बीच तय हो ।

(5) प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश अवश्य क्रय करना होगा, परन्तु कोई व्यक्तिगत सदस्य कुल अंश पूंजी के ऐसे भाग से जो उसके 1/5 तथा जो धनराशि नियत की जाये, से अधिक हो क्रय न करेगा और न धारित करेगा ।

--- 8 ---

उप निबन्धक (के०) सहकारी समितियाँ उ० प्र० लखनऊ

"अंशों की जब्ती"

१३- यदि कोई सदस्य भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता तो उसके बाद संचालक मण्डल किसी भी ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश दे सकता है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन को ब्याज सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश जिस पर उक्त धन देय है, जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते है और उन अंशों से सम्बन्धित सदस्यता के सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे। इस भांति जब्त किये गये अंश जब्ती की नोटिस की तिथि से ३ मास के अन्दर तक सारा बकाया और प्रति अंश एक रुपया नवीनीकरण शुल्क देकर पुनः जारी कराये जा सकते है। नवीनीकरण के लिये उपरोक्त ३ मास की उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरान्त इस भांति जब्त की गयी धनराशि रक्षित निधि में जमा कर दी जायेगी।

१४- सचिव, और संचालक मण्डल के एक सदस्य से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र की [illegible] अंशों की जब्ती संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा हुई है, उसमें निर्दिष्ट [illegible] का अविवाद्य प्रमाण होगा।

१५- संचालक मण्डल द्वारा जब्त घोषित प्रत्येक अंश उसके बाद समिति की [illegible] सम्पत्ति होगा और उसके बाद किसी भी समय उन शर्तों और ढंगों से जिन्हें संचालक मण्डल [illegible] उसकी बिक्री अथवा पुनर्निर्गमन या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया जा सकता है।

१६- जिस सदस्य का अंश जब्त किया गया है, वह जब्ती पर ध्यान दिये बिना, जब्ती के समय अंश के आधार पर बाकी सारे धन तथा अंशों की जब्ती के सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

१७- जब तक जब्त किये गये अंश उपरोक्त विधि से पुनः बिक्री या वितरित या अन्य ढंग से निस्तारण नहीं किये जाते तब तक संचालक मण्डल की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय समिति को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती से उन्मुक्ति दी जा सकती है।

"सदस्य के उत्तराधिकारी का नामांकन"

१८- समिति का कोई सदस्य ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता

अंश जिसके उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायेगा अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा । परन्तु ऐसे नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या सदस्य द्वारा धारित अंशों की संख्या से अधिक न होगी । नामांकन न किये जाने की दशा में सदस्य का अंश या समिति में अन्य हित ऐसे व्यक्ति को चुका दिये जायेंगे या हस्तांतरित कर दिये जायेंगे, जिसे संचालक मण्डल नियमों के अधीन उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझें ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई हस्तान्तरण तब तक नहीं होगा जब तक कि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि यथास्थिति समिति का सदस्य न बना लिया जाये ।

29- जब कि कोई सदस्य अपने द्वारा धृत अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करें तो वह जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण अंशों के रूप में प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संदेय की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा ।

उपर्युक्त रीति से किया गया हर नामांकन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित तथा लिखित होगा और सदस्य के जीवन काल में समिति को सौंप दिया जायेगा । सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इसी भांति अन्य नामांकन करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है ।

30- अंश के सम्बन्ध में कानूनी स्वत्वाधिकारी द्वारा किये गये या होने वाले हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने या किसी हस्तांतरण को क्रियात्मक रूप देने या ऐसा ही कार्य करने के परिणाम स्वरूप समिति पर उन व्यक्तियों के प्रति जो अंश में किसी सामान्य अधिकार अथवा हित का दावा करते हों, कोई उत्तरदायित्व न होगा भले ही ऐसे अंश पर समिति को इस भांति के अधिकार व हित का दावा करने वाले द्वारा नोटिस मिल चुकी हो ।

"उधार लेना"

31- (क) नियम 173 के अधीन समिति का अधिकतम दायित्व वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में, वित्त पोषक बैंक जिससे वह सम्बद्ध है और उसकी ऋणी है, उसके अनुमोदन से निश्चित की जायेगी । यदि समिति किसी ऐसे बैंक से सम्बद्ध अथवा ऋणी नहीं है, तो उसका अधिकतम दायित्व निबंधक के अनुमोदन से निश्चित होगा, परन्तु निबंधक की अनुमति के बिना

समिति का अधिकतम दायित्व उसकी निजी पूंजी के दस गुने से अधिक निश्चित न होगा।

(ख) उपरोक्त ढंग से निश्चित अधिकतम दायित्व के अध्यधीन समिति उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें संचालक मण्डल समय समय पर वित्त पोषक बैंक तथा निबंधक की अनुमति से निश्चित करें, सदस्यों और गैर सदस्यों से विभिन्न प्रकार की जमानतें, जैसे, चालू, बचत, सावधि, आवर्तिक इत्यादि लेकर धन एकत्र कर सकती है। समिति प्रमिजरी नोट जारी करके अथवा भूमि, भवन या समिति की अन्य सम्पत्ति बंधक रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से जो जिसे संचालक मण्डल वित्त पोषक बैंक तथा निबंधक की अनुमति से उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकती है।

"संगठन तथा प्रबन्ध"

32- समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित संस्थाओं और अधिकारियों के हाथ में होगा।-

(क) सामान्य निकाय, (ग) सभापति /उप सभापति,
(ख) संचालक मण्डल, (घ) प्रबन्ध, निदेशक,

33- समिति के सामान्य निकाय में निम्नलिखित होंगे।-

(1) निबंधक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि, यदि कोई हो।

(2) समस्त व्यक्तिगत साधारण सदस्य, यदि उनकी संख्या 250 से अधिक नहीं है। यदि व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या 250 से अधिक हो तो प्रत्येक दस सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर निर्वाचित समस्त प्रतिनिधि। प्रतिनिधियों का निर्वाचन निबंधक के पूर्वानुमोदन से बनाये गये नियमों के अनुसार कराया जायेगा।

34- सामान्य निकाय की बैठक निम्न दो प्रकार की होगी।-

(क) वार्षिक और (ख) असाधारण सामान्य बैठक।-

(क) "वार्षिक सामान्य बैठक"

(अ) समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् या तिथि 30 नवम्बर तक चाहे लेखा-परीक्षण किया गया हो या नहीं, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि निबंधक 30 नवम्बर

के पश्चात भी समिति को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकते हैं और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे :-

(ब) (1) संचालक मण्डल द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्य-कलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन।

(2) नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन, यदि कोई होना हो, तथा ऐसे चुने गये संचालकों में से सभापति और उप सभापति का चुनाव

(3) गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र/ बैलेन्स शीट और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा के जब कि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो।

(4) नियम 11 के अनुसार गत सहकारी वर्ष के लेखा-परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा में जब नियत अवधि के भीतर लेखा-परीक्षा पूरी न हुई हो।

(5) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

(6) शुद्ध लाभ का निस्तारण।

(7) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

(8) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाये।

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

(स) अधिनियम की धारा 38 में किसी बात के होते हुये भी सचिव की अनुपस्थिति में संचालक मण्डल के सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपरोक्त उपधारा 'अ' के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

यदि समिति की वार्षिक सामान्य बैठक लेखों का परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम 91 के अधीन हो, तब उपरोक्त उपविधि की उपधारा (3), (4) और (6) में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार जायेगा।

(द) "अन्य सामान्य बैठकें"

35- संचालक मण्डल समिति के कार्य सम्पादन के लिये जब जब आवश्यक हो समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक, जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा, बुला सकता है ।

36- संचालक मण्डल निबंधक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधिवेशन प्राप्त हो जाने के पश्चात् एक मास के भीतर समिति की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक, जिसे असाधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा, बुलायेगा । संचालक मण्डल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबंधक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर, जिसको वह निर्देशित दे, साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा ।

37- सदस्यों द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के माँग पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिये और उसे समिति के पंजीकृत कार्यालय में दे देना चाहिये ।

38- सामान्य निकाय की बैठक के लिये कम से कम 15 दिन की सूचना आवश्यक होगी । आगे बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त बैठक की नोटिस, दिन, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुये हर सदस्य को अधोलिखित किसी भी प्रकार से दी जायेगी । :-

(क) समिति के कार्य क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवाकर ।

(ख) समिति के कार्य क्षेत्र में किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर सूचना की नोटिस चिपका कर ।

(ग) नोटिस [illegible] किताब को सदस्यों के पास भेजकर उनके हस्ताक्षर करा कर या नोटिसों को सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग से सदस्यों को डाक द्वारा भेज कर ।

यदि नोटिस द्वारा सूचना देने में कोई त्रुटि रह जाय तो सामान्य निकाय की कार्यवाही अवैधानिक न होगी ।

39- सदस्यों की माँग पर हुई सामान्य निकाय की बैठक में बैठक की सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा । अन्य सभाओं में सभापति उन विषयों पर भी विचार की अनुमति दे सकता है जो विचाराधीन विषयों में सम्मिलित नहीं है ।

40- सामान्य निकाय की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) 'अ' श्रेणी के सदस्यों अथवा प्रतिनिधियों, जैसी भी दशा हो, के एक चौथाई से होगी ।

41- यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति

निबन्धक (फ़०)
समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

पूरी न हो तो बैठक उस तिथि तथा समय के लिये स्थगित समझी जायेगी जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें। ऐसी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति उपविधि .. में निर्धारित गणपूर्ति के आधे से होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सदस्य/प्रतिनिधियों के अधियाचन पर बुलाई गई हो तो .. निश्चित समय से एक घंटे के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विघटित हो जायेगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त दोनो अवसरों में बैठक की गणपूर्ति तब तक पूरी नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य "क" सूची में से न होंगे।

बैठक का सभापतित्व
- - - - - - - - - - -

12 - प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति द्वारा करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुनेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उप सभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

उप आयुक्त एवं उप निबन्धक (कें.) सहकारी समितियाँ उ.प्र. लखनऊ

बैठक की विधि का निस्तारण
- - - - - - -

13 - (क) किसी बैठक में समस्त विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मंडल का कोई सदस्य, किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करेगा, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो, जब तक कि अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(ग) प्रत्येक सदस्य, प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

44 - (क) समिति का प्रबन्ध एक संचालक मंडल में निहित होगा, जिसमें निम्नलिखित --15-- सदस्य होंगे । -

(1) अतिरिक्त आदेशक कारागार पदेन सभापति ।

(2) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो संचालक ।

(3) महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा नाम निर्दिष्ट --दो---- संचालक ।

(4) ~~केन्द्रीय पोषक बैंक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक संचालक ।~~
(5) समिति का प्रबन्धक निदेशक (पदेन) (प्रभारी शाखा प्रबन्धक)

(6) सामान्य निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित आठ -- संचालक ।

(ख) उक्त 'क' में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार को धारा 36 के प्राविधानों के अनुसार नाम निर्देशन का अधिकार होगा और ऐसे अधिकार के प्रयोग किये जाने की दशा में संचालक मंडल का गठन उक्त धारा में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगा ।

45 - संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता

कोई व्यक्ति समिति के संचालक मंडल का न तो सदस्य चुना जायेगा और न बना रहेगा, ~~यदि~~ । -

(1) (क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो,

(ख) वह दिवालिया घोषित न हो,

(ग) वह विकृत चित्त, बहरा, गूंगा, या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,

(घ) वह, जो निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करें या करता हो जैसा समिति करती हो ।

(ङ) वह अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या सौदा करें ।

~~(च) वह समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करें या धारण करता हो ।~~

(च) ~~(छ)~~ वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो ।

(छ) ~~(ज)~~ वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो ।

(ज) ~~(झ)~~ यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में कम से कम छः मास से समिति का बकायादार हो ।

(ञ) वह तीन अन्य समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो ।

(ट) वह राजकीय सेवा या किसी समिति की सेवा अथवा नियोजित नियम से कपट, दुराचरण, अनियमितता करने के लिये पदच्युत किया गया हो, और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो ।

(ठ) वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उलटा न किया गया हो ।

(ड) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो ।

(ढ) वह अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो ।

(2)—(क) यदि संचालक मंडल का सदस्य यदि वह संचालक मंडल की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहता है तो वह संचालक मंडल का सदस्य न रहेगा ।

(3) उपरोक्त खंड (2) के उपबन्ध अधिनियम में … के नाम निर्दिष्ट या पदेन संचालक पर लागू नहीं होंगे ।

(4) कोई व्यक्ति जो समिति के संचालक मंडल की सदस्यता के लिये निर्वाचन लड़े, किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाये, समिति या मांग निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिये पात्र न होगा ।

(5) उक्त उपविधि के खंड (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताये निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी :-

(अ) उक्त उपविधि के खंड (ज) में निर्धारित अनर्हताये संचालक मंडल के किसी नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू न होंगी ।

(ब) उक्त उपविधि के खंड (घ) या खंड (ट) में निर्धारित अनर्हताये दोषसिद्ध होने पर दंड या लेने या पदच्युत आदेश के यथा स्थिति पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात समाप्त हो जायगी ।

(स) खंड (ठ) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जिसको धारा 34 के अन्तर्गत समिति के संचालक मंडल में नामांकित किया गया हो ।

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

--- 16

46 - यदि कोई भी संचालक मंडल का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधियों में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो संचालक मंडल उस तथ्य पर इसी उद्देश्य से बुलायी गई बैठक में विचार करेगा। ऐसी बैठक की कार्य-सूची की एक प्रति उस संचालक को जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्ति अभिस्वीकृति) भेजी जायगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता/अनर्हताओं के कारण संचालक मंडल की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्ति अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को संचालक मंडल अथवा उसकी किसी उप समिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त घोषित किया जायगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

47 - उपविधि 47 के खंड (2) में अर्जित अनर्हता की दशा में उपविधि 4[illegible] में अंकित [illegible] अपनाया जा सकता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परन्तु [illegible] सदस्य की हैसियत से कार्य करने में बाधित नहीं किया जा सकता है [illegible] अनुपस्थिति उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण से हुई [illegible] है।

संचालक मंडल का कार्यकाल

48 - (अ) सिवाय नियम 406, 433, 434 और 435 में दी गयी अन्यथा व्यवस्था के समिति के संचालक मंडल का कार्यकाल तीन सहकारी वर्ष होगा, जिसके अन्तर्गत उसके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी है।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सदस्य तब तक पद ग्रहण किये रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट न हो जाय।

उप निबन्धक (के०) हुक्का ी समितियाँ उ.प्र. लखनऊ

स्पष्टीकरण :-

किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल निश्चित करने के लिये इस बात का ध्यान में रखते हुये कि उस वर्ष में निर्वाचन के बाद कितनी अवधि शेष रही, सहकारी वर्ष जिसमें निर्वाचन हुआ, पूरा एक वर्ष समझा जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल में निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 404 या 434 या 435 या अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 5 के खंड(क) के अधीन संगठित संचालक मंडल के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना पात्रता के प्रयोजनार्थ उपनियम 1 के अधीन की गणना करने के लिये नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण :- (1) यदि नियम के लागू होने के समय कोई व्यक्ति समिति के संचालक मंडल का सदस्य है और नियमों के लागू होने के पश्चात् वह पुनः संचालक चुन लिया जाता है अथवा सम्मिलित किया जाता है तो यह समझा जायगा कि वह ऐसे निर्वाचन और ओपयन के पूर्व एक कार्यकाल तक समिति में पद धारण किये था।

(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य कम से कम लगातार तीन सम्पूर्ण सहकारी वर्षों तक संचालक मंडल का सदस्य न रहने के पश्चात पुनः संचालक मंडल का सदस्य चुने जाने के लिये पात्र होगा।

नाम निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल

49 - नाम निर्दिष्ट कोई संचालक अधिनियम और नियमों के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पदासीन रहेगा।

संचालकों में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति

50 - यदि संचालक मंडल में निर्वाचित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो तो वह संचालक मंडल के शेष सदस्यों द्वारा शेष अवधि के लिये उन व्यक्तियों में से जो संचालक मंडल की सदस्यता के लिये पात्र हो सम्मिलन द्वारा पूरा किया जायगा।

छाया प्रति प्रमाणित

संचालक मंडल की बैठक

51 - (क) संचालक मंडल, समिति का कार्य करने के लिये बैठक कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उप निबन्धक (के०) सहकारी समितियां उ० प्र० लखनऊ

(ख) यदि किसी बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद रखता है, तो वह अपने मतभेद को कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करने के लिये आग्रह कर सकता है जिसे सभापति को लिपिबद्ध करना होगा।

संचालक मंडल की गणपूर्ति

52 - संचालक मंडल की बैठक की गणपूर्ति पांच संचालकों से होगी। संचालक मंडल की

बैठक के लिये सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी संचालक मंडल की बैठक बुलाई जा सकती है।

संचालक मंडल के अधिकार

53. समिति के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध संचालक मंडल द्वारा होगा जिसे अधिनियम और नियमों तथा इन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने, ऐसी सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्यवाहियाँ करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो समिति के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्यों से समिति की स्थापना हुई है उनकी पूर्ति एवं समिति के हित तथा उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक एवं उचित होवें।

उपरोक्त उपविधियों द्वारा अर्पित आम अधिकारों की अपेक्षा किये बिना संचालक मण्डल के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे। :-

(1) नियमों के अधीन सदस्यों को ऋण या अग्रिम ऐसे शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन देना जो समय समय पर निश्चित किये जो जाये।

(2) समिति के लिये ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन जो समय समय पर निश्चित किये जाये अमानतें तथा ऋण प्राप्त करना।

(3) [illegible] कर्मचारियों, अंश का आवंटन (   ) करना तथा अंशों के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करना।

(4) वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में समिति का वार्षिक प्रतिवेदन संतुलन पत्र का निरीक्षण एवं संचित धन के लिये प्रावधान तथा वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करना।

(5) नियम 176 के उपबन्धों के पालन करते हुये समिति का कारोबार चलाने हेतु कोई भूमि या भवन चाहे फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड, अथवा अन्य प्रकार की हो, क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना।

(6) अधिनियम की धारा 31 तथा नियम 126 और अधिनियम की धारा 121 और 122 के अधीन बने विनियम के अधीन प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करना, उसे हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(7) समिति के कारोबार के प्रबन्ध में प्रबन्ध निदेशक की सहायता के

—22— लिये अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(8) समिति की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।

(9) समिति द्वारा स्वीकृत या अर्जित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किसी पट्टे की शर्तों या समझौतों का पालन करना और सारे लगान का समिति की ओर से भुगतान करना।

(10) समिति की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा अनुरक्षण और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।

(11) यदि आवश्यक हो तो समिति के सभी या किसी भवन, माल अथवा अन्य सम्पत्ति या अन्य प्रतिभूति, सिक्योरिटी का या तो अलग से या मिलाकर उस अवधि और सीमा तक के लिये बीमा कराना या उसे चालू रखना जिसे संचालक मण्डल उचित समझे और अधिकार के अनुसार किये गये किसी बीमे या बीमा- पत्र (पालिसी) को बेचना अर्पित करना, अर्पित करवाना अथवा उसे चालू न रखना।

(12) [illegible] पर आधारित उद्योग के उत्पादन की [illegible] में उपयोग होने वाले विक्रय वस्तुओं हेतु अथवा उपभोग सामग्री समाज के सामान्य हित में आने वाली वस्तुः के [illegible] सदस्यों के हित में गोदाम बनवाना, रखवाना, रखना या किराये पर लेना।

(13) किसी ऋण या स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने का समय देना।

(14) ऐसी सारी कार्यवाहियों और वाद जिन्हें संचालक मण्डल चलाना प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना, या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना।

(15) समिति की ओर से बैंक में तथा अन्य किसी सहकारी संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना।

(16) कृषि सम्बन्धी वस्तुएं, घरेलू आवश्यकताओं का सामान तथा ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं को रखना, जिनके लिये साधारणतया —20—

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियां उ० प्र०
लखनऊ

माँग हो और उन्हें इतनी संख्या अथवा मात्रा में रखना कि वह मांग से मिल सकें।

(17) सदस्यों की उपज को सहकारी क्रय-विक्रय समिति अथवा ऐसी अन्य समिति द्वारा जिससे यह समिति सम्बद्ध हो, बेचने हेतु सदस्यों से इकरारनामा कराना।

(18) सदस्यों की कृषि उपज को सहकारी क्रय-विक्रय समिति द्वारा बिक्री कराने के लिये इकट्ठा करके श्रेणीवार छाँट करना तथा क्रय-विक्रय समिति को भेजने के लिये परिवहन का प्रबन्ध करना।

(19) कृषि यंत्र, तथा उपकरण रखकर या किराये पर लेकर कृषि सेवा कार्य करना।

(20) सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता जैसे तकावी अनुदान आदि का नियमानुसार वितरण व उसकी वसूली की व्यवस्था करना।

(21) प्रक्रियात्मक इकाईयाँ लगाकर भी अथवा किराये पर लेकर कृषि उपज की प्रक्रिया की व्यवस्था करना।

(22) समिति के कार्य के हित में आवश्यकतानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

(23) समिति के कार्य संचालन हेतु उप नियमावली तैयार करना।

(24) कार्य क्षेत्र के विकास हेतु कृषि, उन्नत कार्यक्रम तैयार करना तथा उसे सम्पादित करना।

(25) स्वीकृत ढाँचे के अधीन समिति के कर्मचारियों की संख्या उनके वेतन आदि तथा सेवा शर्तें सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित करना।

(26) नियम 83 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

(27) नियम 66 के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेखों को ऐसे शुल्क पर देना जिसकी स्वीकृति निबंधक से प्राप्त कर ली है।

(28) नियम 376 के अधीन समिति के लेखों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये शुल्क निर्धारित करना।

(29) उन प्रतिबन्धों और शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें संचालक मण्डल समय समय पर लागू करना उचित समझे तत्कालीन प्रबन्ध संचालक का कुछ अधिकार और कर्तव्य जो संचालक मण्डल को सौंपे गये है कार्यान्वित करने के लिये अधिकृत करना।

र निबन्धक (के०)
री समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

(30) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालक मण्डल पर आरोपित हों अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे जायें ।

" संचालक मण्डल के कार्य की वैधता "

54- संचालक मण्डल के कार्य, संचालक मण्डल में रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेंगे मानों कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी ।

" बैठक का स्थान "

55- समिति के सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक समिति के मुख्यालय पर होगी ।

" सभापति / उपसभापति "

56- (1) (क) कारागार अधीक्षक, समिति का पदेन सभापति होगा ।

(ख) सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों [illegible] करेगा जो अधिनियम, नियमों उपविधियों तथा संचालक [illegible] के [illegible] द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें । उपरिक्त [illegible] और [illegible] नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थितियों (संकटकाल) में निबंधक के पूर्वानुमोदन से संचालक मण्डल के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा । इस बात का निर्णय सभापति स्वयं करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति (संकटकाल) आ गई है । वह इस बात का ध्यान रखेगा कि समिति का कारोबार सुचारु रूप से और उपविधियों के अनुकूल चल रहा है ।

प्रति हस्ताक्षरित

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियाँ उ.प्र.
लखनऊ

(2) (क) उप सभापति का चुनाव वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में किया जायेगा ।

(ख) उप सभापति नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये सभापति द्वारा लिखित रूप से प्रदत्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा । सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा ।

--25

57. " प्रबन्ध निदेशक "

प्रबन्ध निदेशक, समिति का कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति व संचालक मण्डल के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिनकी व्यवस्था नियमों या उपविधियों में की गई है वह :-

(1) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

(3) संचालक मण्डल द्वारा लगाये गये उपबन्धों के अधीन समिति के लेखों (एकाउन्ट्स) को परिचालन (आपरेट) करेगा।

(4) समिति की विभिन्न बहियों/ रजिस्टरों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबंधक, या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नियत कालिक विवरणों पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय से उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(5) समिति की ओर से उसके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(6) प्रबन्ध समिति तथा संचालक मण्डल की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों के अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा।

(7) ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या उपविधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जाये।

58. " बैठक की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियाँ "

सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां उस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

" भत्ते तथा अन्य सुविधायें "

समिति के सभापति/ उपसभापति तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को नियम 384, 385, 386, 387, 388, 389, के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार

यात्रा भत्ता भत्ते का भुगतान किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही उपलब्ध होंगी ।

" सदस्यों से वसूली का विनियोजन ( )

60- जब कोई सदस्य, जिससे समिति को धन पाना है, कोई धन जमा करता तो उसका विनियोजन निम्नांकित क्रम में होगा :-

(1) अन्य देय धनराशि,

(2) ब्याज,

(3) मूलधन ।

" सदस्यों के अंशधन आदि पर समिति का प्रभार "

61- सहकारी समिति को देय किसी ऋण या अदत्त मांग के सम्बन्ध में सहकारी समिति का [illegible] किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा किसी मृत सदस्य के पूंजी में अंश अथवा हित पर और उसके द्वारा जमा की गई धनराशियों पर तथा किसी सदस्य या [illegible] विधिक प्रतिनिधियों को देय लाभांश बोनस अथवा लाभों पर प्रभार होगा और समिति तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी उस सदस्य या उसके दायदों अथवा विधिक प्रतिनिधियों के नाम से या उन्हें देय किसी धनराशियों में से उक्त किसी ऋण अथवा मांग की धनराशि मुजरा कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वित्त पोषण बैंक का जिससे समिति सम्बद्ध हो, प्रभार उस वित्त पोषण बैंक में सहकारी समिति द्वारा रक्षित निधि (रिजर्व फण्ड) के रूप में जमा की गई किसी धनराशि पर न होगा, यदि समिति द्वारा लिये गये ऋण की कुल धनराशि में बैंक का अंश 75 प्रतिशत से कम हो, और न इसे समिति के नाम में जमा या उसे देय किसी ऐसी धनराशि में से ऐसी समिति से प्राप्त कोई ऋण मुजरा करने का हक होगा ।

उप निबन्धक (के०)
सहकारी समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

" सदस्यों की कृषि तथा घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति "

62- संचालक मण्डल वित्त पोषण बैंक तथा निबंधक की स्वीकृति से कृषि तथा घरेलू आवश्यकताओं तथा गृह एवं लघु उद्योग की आवश्यकता

की आपूर्ति हेतु मुख्य वितरक अथवा एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिये सहायक नियम बनायेगा ।

63- "सदस्यों की उपज का क्रय-विक्रय"

संचालक मण्डल जिला सहकारी बैंक तथा निबंधक की स्वीकृति से सदस्यों की कृषि उपज तथा दुग्धशाला, कुक्कुटशाला, सुअरशाला, मछलीशाला, अथवा गृह तथा लघु उद्योग के उत्पादन के मुख्य व्यवसायों का एजेन्ट के रूप में क्रय-विक्रय हेतु सहायक नियम बनायेगा ।

64- "गोदाम"

समिति अपने सदस्यों की उपज को लाभकर दरों पर बेचने के निमित्त सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था अपने निजी अथवा अन्य उचित स्थान पर करेगी । वह एक या अधिक गोदाम स्वयं बनवायेगी अथवा किराये पर लेगी जिसमें सदस्यों की उपज जिसे वे समिति के ऋण के बदले बंधक रखने तथा बना ऋण के भण्डारण हेतु लावें, रखी जायेगी। इन गोदामों में माल रखने के लिये समिति सदस्यों से वह उचित गोदाम भाड़ा लेगी जो समय-समय पर निर्धारित किया जाय । समिति बंधक रखी गई उपज के बीमे का भी प्रबन्ध कर सकती है ।

(2) संचालक मण्डल, जिला सहकारी बैंक तथा निबंधक की स्वीकृति से गोदामों में माल रखने, उसकी सुरक्षा, माल छोड़ने, गोदाम भाड़ा तथा बीमा आदि से सम्बन्धित सहायक नियम बनायेगा ।

"लाभ वितरण"

निबन्धक (के०)
सहकारी समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

(1) (क) शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में डाला जायेगा।

(ख) शुद्ध लाभ में से कम से कम 1 प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में डाला जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष सहकारी वर्ष में अंशदान की जाने वाली धनराशि 2,500/- रुपये से अधिक हो तो यह समिति पर निर्भर होगा कि वह 2,500/- रुपये से अधिक धनराशि का अंशदान करें अथवा न करें ।

(2) समस्त बकाया ब्याज और वह सारा अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज उन सदस्यों से जिन पर ब्याज बकाया हो, डिविडेन्ड (लाभांश) तथा बोनस और समिति की निधि [illegible]

निधियो में धन का परिवाम करने हेतु वितरणीय लाभ [काल के लिये शुद्ध लाभ से निकाल लिया जायगा ।

(3) वितरणीय लाभ में से पन्द्रह प्रतिशत कृषि ऋण स्थिरता कोष ((एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड) में डाला जायगा ।

(4). शेष वितरणीय लाभ, नियमों, के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजनो के लिये उपयोग में लाया जा सकता है ।

(क) अंशधारियों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर नौ प्रतिशत तक लाभांश का भुगतान ।

(ख) आरोग्य ऋण निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि, अनुसंधान निधि, अंश संक्रमण निधि जामीर सहकारी निधि के संगठन और अंशदान के लिये,

(5) चैरिटेबुल एन्डाउमेन्ट एक्ट 1892 की धारा 2(क) में यथा परिभाषित किसी दान के कार्यों (चैरिटेबुल परपज) पर व्यय करने के लिये अधिक से अधिक 5 प्रतिशत का दान ।

(6) सहकारी वर्षों के लाभ में आगे ले जाने के लिये ।

66 - जो लाभांश भुगतान न किया जायेगा उस पर समिति कोई ब्याज न देगी ।

67 - किसी सदस्य पर अंश की कोई किस्तें बाकी होगी वह अपने अंश के प्रति पत पर लाभांश पाने का अधिकारी न होगा ।

68 - समिति द्वारा देय कोई धनराशि यदि इन्डियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर नहीं मांगी जाती तो वह समिति की संचित निधि में जोड़ दी जायगी ।

" लेखा पुस्तिका तथा रजिस्टर "

69 - (अ) संचालक मंडल समिति के कारोबार का सच्चा हिसाब-किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा जिसे वह समिति के वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर उचित समझे । नियम 364 की उपधारा (1) के अधीन हिसाब किताब ऐसे रजिस्टरो में और ऐसे ढंग से रखा जायगा, जिसे संचालक मंडल आदेश दें ।

(ब) नियम 364 की उपधारा (2) के प्रयोजन के अतिरिक्त समिति किसी अन्य लेखा पुस्तकों की छपाई नहीं करेगी ।

उप निबन्धक (के०) सहकारी समितियाँ उ० प्र० लखनऊ

"लेखा - परीक्षा"

70 - समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार, अधिनियम की धारा 64 व नियमों के अनुसार, निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य नियुक्त व्यक्ति, द्वारा की जायगी।

"रक्षित निधि"

71 - (1) समिति की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम 173 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायगा।

(2) नियम 170 के अधीन, रक्षित निधि अविभाज्य है और किसी सदस्य को उसके किसी विशिष्ट हिस्से पर कोई दावा न होगा।

"विवादों का निपटारा"

72 - तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, समिति के संगठन प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति वेतनभोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध विवाद से भिन्न, कोई विवाद :-

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, अथवा।

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति, और समिति उसके संचालक मंडल, समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी है के बीच, अथवा।

(ग) समिति उसके संचालक मंडल और समिति के किसी भूतपूर्व संचालक मंडल, किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा।

(घ) समिति और किसी अन्य सहकारी समिति व समितियों के बीच उत्पन्न हो,

तो वह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का ~~क्षेत्राधिकार~~ क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

" हानि का बट्टे खाते डाला जाना "

73 - यदि समिति का कोई धन चोरी हो जाय अन्यथा अन्य प्रकार खो जाय जिसका वसूल होना असम्भव हो, अथवा यदि समिति का कोई ऋण पूरा अधिक रूप में वसूल होने योग्य न हो तो संचालक मंडल को यह अधिकार होगा कि वह वित्त पोषण बैंक तथा निबन्धक की स्वीकृति प्राप्त कर उसे बट्टे खाते में डाल दें ।

" वित्त पोषण बैंक को निरीक्षण का अधिकार "

74 - वित्त पोषण बैंक को यह अधिकार होगा कि वह समिति के बहियों तथा लेखा जोखा का निरीक्षण कर सकें ।

" समिति में अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों का रखना "

75 - समिति अधिनियम, नियमावली तथा अपनी उपविधियों की एक प्रति हर उचित समय में बिना किसी फीस के निरीक्षण के लिये अपने निबन्धित कार्यालय में उपलब्ध रखेगा ।

" निर्वाचन नियम "

76 - समिति के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगा ।

" उपविधियों का अर्थ "

77 - यदि उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो संचालक मंडल ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय में निबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा ।

सर्वश्री		हस्ताक्षर
1.	[illegible]	[illegible]
2. [illegible] सिंह		
3. सरदार सिंह		
4. मकबूल अजीज		
5. [illegible] अंसारी		
6. राम शरन शर्मा		रामशरन शर्मा
7. शम्भू नाथ		
8. धनी राम		धनीराम
9. श्री [illegible] सिंह	[illegible] पदनाम	
10. श्री राम [illegible]	प्रबन्धक [illegible] पदनाम	

सहकारी समिति [illegible]

उप निबन्धक (प्र०)
सहकारी समितियाँ उ० प्र०
लखनऊ

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या– 33432/शोध एवं प्र0सु0अनु0–4 दिनांक 07 दिसम्बर, 2009

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

विषय– बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति के निबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–164/आर0एम0/09, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपकी कारागार पर आदर्श कारागार सेवा सहकारी लिमिटेड के नाम से सहकारी समिति का निबन्धन 22.11.1975 को किया गया था। वर्तमान में पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है।

अतः आपके द्वारा भेजी गयी नई नियमावली की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, वर्ष 1966) एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 तथा उत्तर प्रदेश सरकार, सहकारिता विभाग (1) अधिसूचना संख्या–3837/सी–7(7)/75, दिनांक 29.10.1975 के अन्तगर्त निम्न संशोधनों के साथ दी जाती है :–

1– समिति के सदस्यों को रू0 50/– का प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

2– अंश पूँजी का प्रत्येक अंश रू0 50/–होगा।

3– एक बंदी अधिकतम 5 अंश (रू0 250/–) ही ले सकेगा।

कृपया तद्नुसार समिति का पुनः पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय,

ह0/–

(सुलखान सिंह)
महानिरीक्षक,,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

"बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति"

आदर्श कारागार लखनऊ

विषय सूची

1. नाम और मुख्यालय 3

2. परिभाषायें 3

3. उद्देश्य 4

4. क्रियाकलाप 4

5. कार्य योजना 5

6. सदस्य, उनके अधिकार एवं दायित्व 5

7. संगठनात्मक संरचना एवं अधिकारों का विभाजन 8

   1. संरक्षक
   2. सामान्य निकाय
   3. मताधिकार
   4. प्रबंध समिति
   5. प्रबंध समिति का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता
   6. अनर्हता पर विचार
   7. संकल्प की घोषणा
   8. प्रबंध समिति का कार्यकाल
   9. प्रबंध समिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति
   10. प्रबंध समिति की गणपूर्ति
   11. प्रबंध समिति के अधिकार
   12. ''प्रबंध समिति के कार्य की वैधता''
   13. सभापति एवं उपसभापति
   14. प्रबंध निदेशक
   15. वैतनिक कर्मी
   16. उपसमितियां
   17. बैठकों एवं कार्यवाहियों के कार्यवृत्त

8. पूंजी 15

   1. पूंजी/निधि का सृजन
   2. अंशपूंजी
   3. अंश की जब्ती
   4. उधार लेना

9. कार्यक्षेत्र का चयन एवं निवेश की प्रक्रिया 17

10. वार्षिक बजट प्रस्ताव एवं सम्परीक्षा 17

11. लाभांश का वितरण 18

1. नाम और मुख्यालय

इस समिति का नाम ''बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति, आदर्श कारागार लखनऊ'' होगा। यह समिति उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, उत्तर प्रदेश सहकारी नियमावली एवं इस हेतु निर्मित अन्य उपविधियों एवं शासनादेशों के अधीन होगी। इसका पता तथा मुख्यालय आदर्श कारागार लखनऊ होगा।

2. परिभाषायें

इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो तब तकः—

(a) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, वर्ष 1966) से है।

(b) ''समिति'' से तात्पर्य ''बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति आदर्श कारागार लखनऊ'' से है।

(c) ''संकलित संख्या'' का तात्पर्य सहकारी समिति की प्रबंध समिति से है जिसे सहकारी अधिनियम की धारा–29 के अधीनस्थ समिति के प्रबन्धन का कार्य सौपा गया है।

(d) ''वित्तधीन बैंक'' से तात्पर्य उस शीर्ष/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंक से है, जिससे समिति सम्बद्ध हो तथा जिसने समिति के उन्नयन, मार्ग–दर्शन तथा ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व लिया हो।

(e) ''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य समिति के प्रबन्ध निदेशक से है, जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत हुई हो।

नोटः— उत्तर प्रदेश सरकार, सहकारिता विभाग(1) अधिसूचना संख्या 3837/सी– –7(7)/75 दिनांक 29.10.1975 के द्वारा कारागार विभागों में गठित सहकारी समितियों को उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–31(1) एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 की धारा 129, 383, 453 (घ), (छ), (झ), (ड) में संशोधन किये गये हैं।

(f) ''निबन्धक'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति के निबन्धक से है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (द) में परिभाषित है।

(g) ''नियम'' से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है।

(h) ''उप–विधि'' का तात्पर्य समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधियों से है।

(i) ''वर्ष'' का तात्पर्य सहकारी वर्ष से है, जो 01 जुलाई से आरम्भ होकर आगामी 30 जून को समाप्त होता है।

(j) ''सदस्य'' का तात्पर्य समिति के सदस्य से है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(ड) में परिभाषित है।

अधिनियम और नियमों में परिभाषित शब्द और पद जिनका उपयोग इन उपविधियों में किया गया है, का जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है।

3. उद्देश्य

कारागार में निरुद्ध बंदियों को पारस्परिक हितबद्ध समूह में परिवर्तित कर उनमें सहकारिता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना के विकास के साथ ही रोजगार, उत्पादन एवं आय बढ़ाने के लिये आवश्यक साधन एवं सेवायें जुटाकर उद्यम क्षमता का विकास एवं सदुपयोग करना ताकि–

(a) कारागार में निरुद्ध मानव संसाधन का सुनियोजित उपयोग हो सके।

(b) निरुद्धि की अवधि में भी बंदीगण आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें तथा कारागार के भीतर से ही अपने परिवार एवं पीड़ित परिवार के भरण–पोषण में सक्षम हो सकें।

(c) कारागार से मुक्ति के उपरांत भी आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें।

(d) सहकारी समिति के संचालन से उनमें परस्पर सहयोग की भावना का विकास हो तथा वे सामाजिक समायोजन में अधिक सक्षम हो सकें।

(e) उनकी प्रबंधन क्षमता का विकास होगा परिणामस्वरूप आत्मविश्वास बढ़ेगा।
(f) बंदीगणों की सकारात्मक क्रियाशीलता से कारागारों में अनुशासनात्मक एवं उत्पादक वातावरण का सृजन हो सकेगा।
(g) स्वावलम्बन, सहयोगात्मक प्रवृत्ति, प्रबंधन क्षमता, आत्मविश्वास में वृद्धि आदि के परिणामस्वरूप आपराधिक भावना का शमन होगा।
(h) समग्र रूप से आत्मोन्नति होगी जो कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का मौलिक लक्ष्य है।

4. क्रियाकलाप

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति निम्नलिखित कार्यों में से एक या अधिक कार्य करेगी।

(a) उत्पादन इकाइयों की स्थापना तथा इकाइयों अथवा आवश्यक उपकरणों को किराये पर प्राप्त करना।
(b) बंदियों के प्रयोगार्थ नियमों में निर्धारित आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जिससे कारागार के अंदर मानवीय सुविधायुक्त वातावरण का विकास हो सके।
(c) समस्त परियोजनाओं की स्थापना एवं परिचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन करना।
(d) कृषि, मत्स्य पालन एवं पशुधन से सम्बन्धित व्यवसायिक क्रियाकलाप।
(e) उद्योगों के परिचालन के लिये आवश्यक मशीन तथा उपकरणों का क्रय करना या किराये पर प्राप्त करना
(f) आवश्यक कच्चे माल का क्रय एवं भंडारण करना।
(g) समिति द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रह तथा विक्रय का व्यवसायिक प्रबन्धन करना जिससे सदस्यों को उनकी वस्तुओं का अधिक से अधिक मूल्य मिले। सहकारी क्रय विक्रय समितियों, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम तथा अन्य निजी या सरकारी विक्रेताओं के माध्यम से उक्त विक्रय किया जायेगा।
(h) उन्नत पशुओं का क्रय करना एवं दुग्धशाला का संचालन करना।
(i) सदस्यों को मौसमी कारोबार दिलाने हेतु सरकार, स्थानीय निकायों अथवा व्यक्तियों से संविदा पर आधारित सम्बन्ध स्थापित करके विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यों एवं व्यवसायों को करना।
(j) अन्य आवश्यक क्रियाकलाप जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर चिन्हित किये जायं।

5. कार्य योजना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध इच्छुक सिद्धदोष एवं विचाराधीन बंदियों की एक सहकारी समिति का निर्माण किया जायेगा। उद्देश्य के अनुरूप ही इस सहकारी समिति का नाम ''बंदी सुधार एवं पुनर्वास सहकारी समिति, आदर्श कारागार लखनऊ'' होगा। सहकारी समिति लोकतंत्रात्मक सहकारी प्रणाली पर कार्य करेगी तथा इसके प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यवसायिक निर्णय सामूहिक सहमति के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिये जायेंगे। समिति के कामकाज के सुगम संचालन हेतु एक लिपिक/लेखाकार को भी संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा, जिसका व्यय समिति द्वारा वहन किया जायेगा। काम काज के असंतोषजनक होने पर समिति बहुमत के निर्णय के आधार पर किसी भी सदस्य की सदस्यता निलम्बित या समाप्त कर सकती है। इस समिति के कार्य संचालन हेतु प्रारम्भिक पूंजी/निधि की व्यवस्था कारागार बंदी कल्याणकोष से उधार

लेकर या बैंक ऋण के माध्यम से की जा सकेगी। सहकारी समिति की निधि में वाह्य निजी पूंजी का निवेश नहीं किया जायेगा। सहकारी समिति के संचालन हेतु एक सुस्पष्ट नियमावली होगी। इस नियमावली में संशोधन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के प्राविधानों के अंतर्गत सहकारी समिति के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर वरिष्ठ अधीक्षक की संस्तुति एवं विभागाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से होगी। कारागार नियमों के अधीन रहते हुए सहकारी समिति के सदस्य लाभकारी, रोजगारपरक, व्यवसायिक एवं उत्पादक गतिविधियों में स्वयं को नियोजित कर सकेंगे। समिति द्वारा वार्षिक रूप से लाभांश घोषित किया जायेगा। सदस्य बंदीगण अर्जित लाभांश का कारागार के भीतर उपयोग करने, अपने परिजनों के भरण पोषण हेतु भेजने, पीड़ित परिवार के भरण पोषण हेतु भेजने, न्यायिक वाद की पैरवी में व्यय करने, अपने अथवा किसी अन्य बंदी के अर्थदण्ड अदा करने, सहकारी समिति की निधि में पुर्ननिवेश करने, अर्जित लाभांश का स्वविवेकपूर्ण निवेश करने, बंदी कल्याण के सामूहिक कार्य में दान देने हेतु स्वतंत्र होंगे।

6. सदस्य, उनके अधिकार एवं दायित्व

1. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगेः—
   (a) साधारण सदस्यः— आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध बंदीगण एवं राज्य सरकार इस सहकारी समिति के साधारण सदस्य हो सकते हैं।
   (b) नाम मात्र सदस्यः—वह वित्तपोषण बैंक जिससे समिति निबन्धक की अनुमति से ऋण प्राप्त करती है, समिति का नाम मात्र सदस्य हो सकता है। ऐसे सदस्यों को भी समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क देना होगा। नाम मात्र सदस्य को मतदान या ऋण से भिन्न अंश पूंजी निवेश अथवा लाभांश पाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
2. राज्य सरकार समिति की सदस्य हो सकती है, यदि वह समिति के उतने मूल्य के अंश, जो कि प्रबंध समिति तथा राज्य सरकार के मध्य निश्चित हो, क्रय करने व उनका पूरा मूल्य चुकाने को तैयार हो।
3. प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को रूपये 50.00 प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा।
4. सदस्यता का प्रार्थना पत्र समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर यदि कोई हो, रू0 50.00 प्रवेश शुल्क के साथ समिति के प्रबन्ध निदेशक को दिया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना पत्र को शीघ्र संचालक मंडल के सम्मुख सदस्यता पर निर्णय लेने हेतु रखेंगे।
5. संचालक मंडल इस सम्बन्ध में नाम मात्र की सदस्यता का आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के तथा साधारण सदस्यता का आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर आवश्यक निर्णय लेगा तथा निर्णय की तिथि से 7 दिन में प्रार्थी को निर्णय से अवगत करा दिया जायेगा। यदि सदस्य के आवेदन पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के अन्दर कोई निर्णय नहीं लिया जाता या सूचित किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्य का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है।

6. सदस्यता के अस्वीकार किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 1 (ग) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।
7. समिति का कोई सदस्य यदि वह समिति का ऋणी नहीं है या वह किसी ऐसे ऋण का, जो अभी चुकता नहीं हुआ है, जामिन नहीं है, समिति को एक मास की नोटिस देकर, समिति की सदस्यता से पृथक हो सकता है। नोटिस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी है और अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर वह अपने अंशों के सम्बन्ध में समिति द्वारा देय राशियों की वापसी का अधिकारी होगा।
8. () कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है यदि :–
   i. उसमें सदस्यता के लिये अधिनियम, नियमों और उपविधियों में अपेक्षित अर्हतायें न हों या उसने कोई अयोग्यता अर्जित कर ली हो।
   ii. वह अधिनियम नियमों और उपविधियों के उपबन्धों का उल्लघंन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।
   iii. वह विकृत चित्त का हो जाये।
   iv. उसकी सदस्यता नियम 8 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के असंगत हो।

   (इ) कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता हैः–
   i. यदि उसने समिति की किसी निधि या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई हो और ऐसे अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डित किया गया हो। प्रतिबन्ध यह है कि वह दण्डादेश के विरूद्ध अपील में छोड़ दिये जाने के पश्चात अथवा उक्त आदेश के अधीन सजा काटने के पश्चात् या अर्थ दण्ड का भुगतान करने के पश्चात् जैसी भी दशा हो उक्त समिति या किसी भी अन्य समिति का सदस्य होने के लिये अर्ह होगा।
   ii. यदि समिति की उपविधियों के किन्ही उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा गलत पाई जाये या किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण या ऐसी गलत या कोई दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक हानि अथवा अन्य कठिनाइयाँ हुई हों।
   iii. यदि उसने समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हितों को हानि पहुँचाई हो।
9. किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उपरोक्त उपविधि के अधीन हटाना या निकालना हो, संचालक मण्डल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से यथास्थिति, हटा या निकाल दिया जाय। नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर संतोषजनक ढंग से न दिये जाने पर प्रबन्ध समिति उक्त उपरोक्त उपविधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए पारित संकल्प से उक्त सदस्य को हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। ऐसे प्रयोजन के लिए बुलाई गई प्रबंध समिति की बैठक की कार्य सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भी भेजी जायेगी, जिसे हटाना या

निकालना हो और सम्बन्धित सदस्य को ऐसी.बैठक के सम्बन्ध में यदि वह ऐसा करना चाहें, स्वयं अपने बारे में कहने का अधिकार होगा।

10. उपरोक्तानुसार किसी सदस्य को समिति की सदस्यता से निष्कासित करने के निर्णय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 98 की उपधारा 1(य) के अर्न्तगत अपील करने का अधिकार होगा।
11. उपरोक्त उपविधि के अर्न्तगत तथा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन हटाया या निकाला गया समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबंध समिति में निर्वाचन के लिये खडे होने का भी पात्र न होगा।
12. किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जायेगी :–
    i. उनकी मृत्यु होने, या
    ii. समिति से हटाये जाने या निकाले जाने या,
    iii. उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने या,
    iv. उसके अंशों के निवृत्त होने या स्थानान्तरण पर, अथवा उसके सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर।
13. **सदस्य के उत्तराधिकारी का नामांकनः** समिति का कोई भी सदस्य उत्तराधिकार में सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।
14. समिति का कोई सदस्य ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा मे, समिति की पूँजी में उसके अंश की धनराशि एवं अन्य देयताओं का भुगतान कर दिया जाएगा। नामांकन न किये जाने की दशा में सदस्य का अंश उसके परिवार के सदस्यों/उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान कर दिया जायेगा।

7– संगठनात्मक संरचना एवं अधिकारों का विभाजन

समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित संस्थाओं और अधिकारियों के हाथ में होगा :–

1. संरक्षक
2. सामान्य निकाय
3. प्रबंध समिति
4. सभापति
5. उपसभापति
6. प्रबन्ध निदेशक **संरक्षक :** विभागाध्यक्ष सहकारी समिति का संरक्षक होगा तथा समिति के संचालन हेतु विनियमन कर सकेगा। विभागाध्यक्ष को समिति का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं लाभ–हानि विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

1. **सामान्य निकाय :** बंदी सुधार एवं पुनर्वास सहकारी समिति का सामान्य निकाय उसके समस्त सदस्यों से मिल कर बना होगा। सामान्य सदस्यों की संख्या 25 से कम नहीं होगी। इसके साधारण सदस्य कारागार में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी होंगे। समिति के पदेन पदाधिकारी भी इस समिति के स्वतः सदस्य हो सकेंगे। ऋण दाता बैंक का प्रतिनिधि समिति का नाम मात्र सदस्य होगा।

2. **मताधिकारः** सामान्य सदस्य ही सामान्य निकाय में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सदस्य बंदी को एक मत देने का अधिकार होगा चाहे उसके द्वारा धारित अंश पूंजी कुछ भी हो। सदस्यों से भिन्न बंदियों द्वारा समिति में पूंजीनिवेश अथवा लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार नाममात्र सदस्य, पदेन एवं नामित सदस्यों को मताधिकार नहीं होगा। सभापति को मत के बराबर होने की दशा में ही मत देने का अधिकार होगा।

3. <u>प्रबंध समिति</u> :

(a) सहकारी समिति की एक प्रबंध समिति होगी, जो सभापति, उपसभापति, प्रबंध निदेशक, कोषाध्यक्ष, उपप्रबंध निदेशकों एवं कार्यकारी सदस्यों से मिल कर बना होगा। वरिष्ठ अधीक्षक सहकारी समिति एवं प्रबंध समिति का पदेन सभापति होगा। सभापति कारापाल अथवा उपकारापालों में से एक अधिकारी को सहकारी समिति एवं प्रबंध समिति का पदेन उपसभापति नियुक्त करेगा। प्रबंध समिति का एक प्रबंध निदेशक, एक कोषाध्यक्ष, दो उप प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी सदस्य होंगे, जो सदस्य बंदियों में से सदस्यों द्वारा मतदान के आधार पर दो सहकारी वर्ष के लिए चयनित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रोजगारपरक उपसमितियों के प्रबंध निदेशक भी प्रबंध समिति के नामित कार्यकारी सदस्य होंगे। राज्य सरकार एवं महानिरीक्षक भी एक एक शासकीय सदस्य नामित कर सकते हैं जो अधीक्षक कारागार से उच्च रैंक के नहीं होंगे। ऋणदाता बैंक का एक नाममात्र सदस्य भी प्रबंध समिति का पदेन सदस्य होगा किंतु इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। पदेन सभापति को किसी प्रकरण में समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यदि किसी बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद रखता है, तो वह अपने मतभेद को कार्यवाही पुस्तिका में लिपिबद्ध करने के लिये आग्रह कर सकता है जिसे सभापति को लिपिबद्ध करना होगा।

(b) प्रबंध समिति के चयनित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बहुमत के आधार पर निष्क्रियता या दुराचरण की स्थिति में निश्चित अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकेगा अथवा हटाया भी जा सकेगा।

(c) उक्त 'क' में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार को धारा 34 के प्राविधानों के अनुसार नाम निर्देशन का अधिकार होगा और ऐसे अधिकारों के प्रयोग किये जाने की दशा में प्रबंध समिति का गठन उक्त धारा में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगा।

4. () <u>**प्रबंध समिति का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हताः**</u> कोई व्यक्ति समिति की प्रबंध समिति का न तो सदस्य चुना जायेगा और न बना रहेगा, यदिः–

i. उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो,
ii. वह दिवालिया घोषित हो,
iii. वह विकृत, बहरा, गूंगा, या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,
iv. यह, कि निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा समिति करती हो।
v. यह कि अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे।
vi. यह कि समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।
vii. वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा–91 के अधीन कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।

viii. यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के संबंध में कम से कम छः माह से समिति का बकायेदार हो।

ix. वह तीन अन्य समितियों की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो।

x. वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा–72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।

xi. वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो।

xii. वह अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(इ) प्रबंध समिति का सदस्य यदि वह प्रबंध समिति की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहता है तो वह प्रबंध समिति का सदस्य न रहेगा।

(ब) उपरोक्त खण्ड के उपबन्ध प्रबंध समिति के नाम निर्दिष्ट या पदेन प्रबंध समिति के सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(क) कोई व्यक्ति जो समिति की प्रबंध समिति की सदस्यता के लिये निर्वाचन लड़े, किन्तु ऐसे निर्वाचन में वह हार जाये, नाम निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिये पात्र न होगा।

(म) उक्त उपविधि के खंड (1) के अधीन निर्धारित अनर्हतायें निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगीः–

i. उक्त उपवधि के खंड (ज) में निर्वाचित अनर्हतायें प्रबंध समिति की किसी नाम निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू न होगी।

ii. खंड (ड) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नही होगी जिसको धारा 34 के अन्तर्गत समिति की प्रबंध समिति में नामांकित किया गया हो।

5. **अनर्हता पर विचारः–** ज्यों ही प्रबंध समिति का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधियों में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो प्रबंध समिति उस तथ्य पर इस उद्देश्य के लिये बुलायी गयी बैठक में विचार करेगी। ऐसी बैठक की कार्य–सूची की एक प्रति उस प्रबंध समिति के सदस्य को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद ली जायेगा। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता/अनर्हताओं के कारण प्रबंध समिति की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी संबंधित व्यक्ति को प्राप्त करा कर रसीद ली जायेगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को प्रबंध समिति अथवा उसकी किसी उपसमिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

6. **संकल्प की घोषणाः–** उपविधि 47 के खंड (2) में अर्जित अनर्हता की दशा मे उपविधि 48 में वर्णित संकल्प पारित किया जा सकता है तथा संबंधित व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परन्तु उसे सदस्य की हैसियत से कार्य करने में बाधित नही किया जा सकता है यदि उसकी अनुपस्थित उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत पर्याप्त कारण से हुई घोषित की गयी है।

7. **प्रबंध समिति का कार्यकालः** सिवाय नियम 406, 433, 434 और 435 में दी गयी अन्यथा व्यवस्था के समिति की प्रबंध समिति का कार्यकाल दो सहकारी वर्ष होगा, जिसके अन्तर्गत उसके निर्वाचन का सहकारी वर्ष भी है। प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य तब तक पद ग्रहण किये रहेंगे, जब तक उनके उत्तराधिकारी अधिनियम और नियमों के उपखण्डों के अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट न हो जायं।

स्पष्टीकरणः–

(1) किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल निश्चित करने के लिये इस बात का ध्यान रखते हुये कि इस वर्ष में निर्वाचन के बाद कितनी अवधि शेष रही, सहकारी वर्ष जिसमें निर्वाचन हुआ, पूरा एक वर्ष समझा जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति प्रबंध समिति में निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 494 या 434 या 435 या अधिनियम की धारा 33 की उपधारा 3 के खंड(क) के अधीन संगठित प्रबंध समिति के सदस्य के पक्ष में पारित दण्डावधि की गणना पात्रता के प्रयोजनार्थ उपविधि के अधीन गणना करने के लिये नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरणः–

(1) यदि नियम के लागू होने के समय कोई व्यक्ति समिति की प्रबंध समिति का सदस्य है और नियमों के लागू होने के पश्चात् वह पुनः प्रबंध समिति का सदस्य चुन लिया जाता है अथवा आमंत्रित किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसे निर्वाचन और आमंत्रण के पूर्व एक कार्यकाल तक समिति में पद धारण किये था।

(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य कम से कम लगातार तीन सम्पूर्ण सहकारी वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य न रहने के पश्चात् पुनः प्रबंध समिति का सदस्य चुने जाने के लिये पात्र होगा।

8. **प्रबंध समिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्तिः** यदि प्रबंध समिति में निर्वाचित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो तो वह प्रबंध समिति के शेष सदस्यों द्वारा शेष अवधि के लिये उन व्यक्तियों में से जो प्रबंध समिति की सदस्यता के लिये पात्र हो, आमेलन द्वारा पूरा किया जायेगा।

9. **प्रबंध समिति की गणपूर्तिः** प्रबंध समिति की बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी। प्रबंध समिति की बैठक के लिये तीन दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी इसे बुलाया जा सकता है।

10. **प्रबंध समिति के अधिकारः** समिति के व्यवसाय का संचालन और प्रबन्धन प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा जिसे अधिनियम और नियमों तथा इन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने, ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने, ऐसी सभी कार्यवाहियॉ करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो समिति के कार्यो का उचित प्रबन्धन करने तथा जिन उददेश्यों हेतु समिति को स्थापना हुई है, उनकी पूर्ति एवं समिति के हित तथा इनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक एवं उचित होगे।

उपरोक्त उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की अपेक्षा किये बिना प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे–

1. नियमों के अधीन सदस्यों को ऋण या अग्रिम ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन देना जो समय समय पर निश्चित किये जाये।
2. समिति हेतु ऐसी शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन जो समय समय पर निश्चित किए जाए, अमानतें तथा ऋण प्राप्त करना।

3. सदस्य बनाना, वैतनिक कर्मियों की भर्ती करना, अंश का आवंटन करना तथाअंशों के हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करना।
4. सामान्य निकाय की बैठक में समिति का आर्थिक प्रतिवेदन, संतुलन पत्र, अशोघ्य एवं संदिव्य ऋण के लिये प्राविधानता तथा वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करना।
5. नियम 176 के उपबंधों का पालन करते हुये समिति का कारोबार चलाने हेतु कोई भूमि या भवन चाहे फ्री होल्ड हो या लीज़ होल्ड, अथवा अन्य प्रकार की हो, क्रय करना, लीज़ पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना।
6. अधिनियम की धारा 31 तथा नियम 126 और अधिनियम की धारा 121 और 122 के अधीन बने विनियम के अधीन प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करना, उसे हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।
7. समिति के कारोबार के प्रबन्ध में प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।
8. समिति की नकद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना।
9. समिति द्वारा स्वीकृत या अभ्यर्थित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किसी पट्टे की शर्तो या समझौतों का पालन करना और सारे लगान का समिति की और से भुगतान करना।
10. यदि आवश्यक हो तो समिति के सभी या किसी भवन, माल अथवा अन्य सम्पत्ति या अन्य प्रतिभूति सिक्योरिटी का या तो अलग से या मिलाकर उस अवधि और सीमा तक के लिये बीमा कराना या उसे चालू रखना जिसे प्रबंध समिति उचित समझे और अधिकार के अनुमान किये गये किसी बीमे या बीमा–पत्र (पालिसी) को बेचना अभ्यर्पित करना, समर्पित करना अथवा उसे चालू न रखना।
11. सदस्यों को तथा कृषि पर आधारित उद्योग के उत्पादन की ब्रिकी हेतु अथवा कृषि में उपभोग होने वाले विक्रय वस्तुओं हेतु अथवा उपभोग सामग्री, समाज के सामान्य हित में आने वाली वस्तुओं की भण्डारण सुविधा हेतु सदस्यों के हित में गोदाम बनवाना, रखवाना, रखना या किराये पर लेना।
12. किसी ऋण या स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना या उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने का समय देना।
13. ऐसी सारी कार्यवाहियाँ और वाद जिन्हे प्रबंध समिति चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजना।
14. समिति की और से बैंक में तथा अन्य किसी सहकारी संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना।
15. समिति के उत्पादों को सहकारी क्रय–विक्रय समिति, अन्य संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा जिससे यह समिति लिखित अनुबंध करे, बेचने हेतु सदस्यों से इकरारनामा कराना।
16. समिति के कार्य के हित में आवश्यकतानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
17. समिति के कार्य संचालन हेतु उप नियमावली तैयार करना।

18. कार्य क्षेत्र में सदस्यों हेतु कृषि या उद्योग से संबंधित कार्यक्रम तैयार करना तथा उसे सम्पादित करना।
19. स्वीकृत बजट के अधीन समिति के कर्मचारियों की संख्या उनके वेतन आदि तथा सेवा शर्ते सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित करना।
20. नियम 23 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना।
21. नियम 64 के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेखों को ऐसे शुल्क पर देना जिसकी स्वीकृति निबंधक से प्राप्त कर ली गयी है।
22. नियम 376 के अधीन समिति के लेखों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये शुल्क निर्धारित करना।
23. उन प्रतिबन्धों और शर्तों के अर्न्तगत, जिन्हे प्रबंध समिति समय समय पर लागू करना उचित समझे, तत्कालीन प्रबन्ध समिति के सदस्य का कुछ अधिकार और कर्तव्य जो प्रबंध समिति को सौंपे गये हैं, कार्यान्वित करने हेतु अधिकृत करना।
24. ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रबंध समिति पर आरोपित हों अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे जायें।

11. **प्रबंध समिति के कार्य की वैधता:** प्रबंध समिति के कार्य, प्रबंध समिति में रिक्त स्थान या किसी प्रबंध समिति के सदस्य की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेंगे मानो कोई स्थान रिक्त न था और प्रबंध समिति के सदस्य की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।
12. **सभापति एवं उपसभापति :** वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार सहकारी समिति एवं प्रबंध समिति का पदेन सभापति होगा। कारापाल अथवा उपकारापालों में से एक अधिकारी को सभापति सहकारी समिति एवं प्रबंध समिति का पदेन उपसभापति नामित करेगा।

    सभापति समिति के मामलों तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा प्रबंध समिति के संकल्प द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। उपस्थित रहने पर वह नियमों के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा प्रबंध समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा और आवश्यक परिस्थितियों/संकटकाल में निवंधक के पूर्वानुमोदन से प्रबंध समिति के सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा। इसका निर्णय सभापति स्वयं करेगा कि क्या ऐसी आवश्यक परिस्थिति/संकटकाल उत्पन्न हो गई है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि समिति का कारोबार दृढ़ रूप से और उपविधियों के अनुकूल चल रहा है।

    उप सभापति नियमों में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा लिखित रूप से प्रदत्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय तथा प्रबंध समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा।
13. **प्रबंध निदेशक :** प्रबन्ध निदेशक, समिति का कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति व प्रबंध समिति के ऐसे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिनकी व्यवस्था नियमों या उपविधियों में की गई है वह :–
    1. समिति के कार्य के सम्पर्क, प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होगा।
    2. समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा। प्रबंध समिति द्वारा लगाये गये उपबन्धों के अधीन समिति के लेखों (एकाउन्ट्स) का कैशबुक, लेजर, उत्पादन रजिस्टर, स्टाक बुक, बैंक एकाउन्ट रजिस्टर, ऋण रजिस्टर, लाभांश

रजिस्टर, दैनिक व्यय/भुगतान रजिस्टर, मशीनों की लागबुकें, क्रय आदेश रजिस्टर आदि लेखा अभिलेखों के माध्यम से परिचालन (आपरेट) करेगा।

3. समिति के विभिन्न लेखा अभिलेखों/रजिस्टरों व अन्य अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबंधक या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नियत मासिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और समयबद्ध रूप से उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।
4. समिति की ओर से उसके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।
5. सामान्य निकाय तथा प्रबंध समिति की बैठकें बुलायेगा और ऐसी बैठकों के अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा।
6. ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमों या उप विधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

14. **वैतनिक कर्मी :** सहकारी समिति द्वारा प्रबंध समिति एवं उपसमितियों के कामकाज के सुगम संचालन हेतु एक लिपिक/लेखाकार को भी संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा जिसका व्यय समिति द्वारा वहन किया जायेगा। यह लिपिक/लेखाकार कामर्स ग्रेजुएट होगा तथा लेखों के रखरखाव, लाभहानि विवरण तैयार करने एवं अभिलेखीकरण में दक्ष होगा। संविदाकर्मी कारागार के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा बंदी का संबंधी/रिश्तेदार नहीं होगा। कम्प्यूटर में दक्ष अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
15. **उपसमितियां :** प्रत्येक लाभकारी, रोजगारपरक, व्यवसायिक एवं उत्पादक गतिविधियों के संचालन हेतु एक–एक उपसमिति गठित की जायेगी। इन उप समितियों की संगठनात्मक संरचना, क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रबंध समिति द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर सहकारी समिति के सदस्यों के विशिष्ट बहुमत (2/3 बहुमत) के अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा।
16. **बैठकों एवं कार्यवाहियों के कार्यवृत्तः** सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियॉ उस प्रयोजन के लिये रखी गयी पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और समिति के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।

8. पूंजी

1. **पूंजी/निधि का सृजन :** इस समिति के कार्य संचालन हेतु प्रारम्भिक पूंजी/निधि की व्यवस्था कारागार बंदी कल्याणकोष से उधार लेकर या बैंक ऋण के माध्यम से की जा सकेगी। सहकारी समिति की निधि में वाह्य निजी पूंजी का निवेश नहीं किया जायेगा। सहकारी समिति द्वारा घोषित त्रैमासिक लाभांश का न्यूनतम् 25 प्रतिशत पूंजी/निधि लेखा में हस्तांतरित किया जायेगा। समिति के सदस्य सहकारी समिति द्वारा अर्जित लाभांश का स्वैछिक पुर्नविनिवेश अतिरिक्त लाभांश अर्जन हेतु कर सकेंगे।
2. **अंशपूंजी :**
   i. समिति की अधिकृत अंशपूँजी रूपये 100.00 प्रति अंश के हिसाब से होगी।
   ii. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश अवश्य क्रय करना होगा, परन्तु कोई सदस्य कुल अंश का पूँजी के ऐसे भाग से जो उसके 1/20 तथा जो धनराशि नियत की जाये, से अधिक हो, क्रय न करेगा।
3. **अंश की जब्तीः**

i. यदि कोई सदस्य भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम दिन तक किसी अंश के सम्बन्ध में देय कोई धन नहीं चुकाता तो उसके बाद प्रबंध समिति किसी भी ऐसे सदस्य को नोटिस देकर आदेश दे सकता है कि वह निर्धारित स्थान और समय पर उक्त देय धन को ब्याज सहित चुका दे। नोटिस में यह भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय और स्थान पर इसका भुगतान न होने पर वह अंश जिस पर उक्त धन देय है, जमा किये गये सारे धन सहित जब्त किये जा सकते हैं और उन अंशों से सम्बन्धित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जाएँगे।

इस भॉति जब्त किये गये अंश जब्ती की नोटिस की तिथि से 3 मास के अन्दर तक प्रति अंश दस रूपया नवीनीकरण शुल्क देकर पुनः जारी कराये जा सकते है। नवीनीकरण के लिये उपरोक्त 3 मास की उल्लिखित अवधि की समाप्ति के उपरान्त इस भाँति जब्त की गयी धनराशि रक्षित निधि में जमा कर दी जायेगी।

ii. ''अंशों की जब्ती'' प्रबंध समिति के प्रस्ताव द्वारा की जायेगी तथा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक और प्रबंध समिति के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एवं निर्गत किया जायेगा।

iii. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जब्त किया गया अंश, जब्त सम्पत्ति होगा और उसके बाद किसी भी समय उन शर्तों और ढंगों से जिन्हें प्रबंध समिति उचित समझे, उसकी बिक्री अथवा पुनर्निगमन या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण किया जा सकता है।

iv. जिस सदस्य का अंश जब्त किया गया है, वह अंश जब्त किये जाने से पूर्व तक के समस्त वित्तीय दायित्वों तथा अंशो की जब्ती के सम्बन्ध में समिति द्वारा किये गये समस्त व्ययों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

4. जब तक जब्त किये गये अंश उपरोक्त विधि से पुनः बिक्री या वितरित या अन्य ढंग से निस्तारण नहीं किये जाते तब तक प्रबंध समिति की स्वेच्छा और प्रस्ताव से जब्ती के समय समिति को प्राप्त सारी धनराशि निर्धारित समय के अन्दर चुकाने पर रियायत के तौर पर जब्ती की उन्मुक्ति दी जा सकती है।

5. सदस्य द्वारा किया गया हर नामांकन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित तथा लिखित होगा तथा सदस्यता के लिए किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जायेगा। सदस्य अपने जीवन काल में इसमें कभी भी परिवर्तन कर सकता है।

6. <u>उधार लेना:</u>

(क) नियम 173 के अधीन समिति का ''अधिकतम दायित्व'' वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में, वित्त पोषण बैंक जिससे वह सम्बद्ध/ऋणी है, उसके अनुमोदन से निश्चित किया जायेगा। यदि समिति किसी ऐसे बैंक से सम्बद्ध अथवा ऋणी नहीं है, तो ''अधिकतम दायित्व'' निबंधक के अनुमोदन से निश्चित होगा। परन्तु निबंधक की अनुमति के बिना समिति का अधिकतम दायित्व उसकी निजी पूँजी के दस गुने से अधिक निश्चित न होगा।

(ख) उपरोक्त ढंग से निश्चित अधिकतम दायित्व के अध्यधीन समिति उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें प्रबंध समिति समय समय पर वित्त पोषण बैंक तथा निबंधक की अनुमति से निश्चित करें, बंदी कल्याण कोष से अथवा सदस्यों से उधार प्राप्त कर सकती है। ऐसे उधार पर ब्याज की अधिकतम दरें वही होंगी जो सहकारी बैंकों में यथा समय प्रचलित होंगी।

9. कार्यक्षेत्र का चयन एवं निवेश की प्रक्रिया

1. समिति द्वारा संचालित किये जाने वाले लाभकारी, रोजगारपरक, व्यवसायिक एवं उत्पादन के क्षेत्रों का चयन उपलब्ध संसाधन, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की मांग, परियोजना की व्यवहारिकता, लाभांश की सम्भावना आदि आर्थिक पहलू

एवं सहकारी समिति के गठन के उद्देश्यों को केन्द्र में रख कर प्रबंध समिति द्वारा बहुमत से पारित सुस्पष्ट एवं विस्तृत व्यवसायिक प्रस्ताव पर सहकारी समिति के सदस्यों के विशिष्ट बहुमत (2/3 बहुमत) के अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा। अनुमोदनोपरांत इस परियोजना को विभागाध्यक्ष की मंजूरी हेतु भेजा जा सकेगा।

व्यवसायिक प्रस्ताव में परियोजना की लागत, प्रारम्भिक एवं कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता, संसाधनों की आवश्यकता, उत्पादन की प्रक्रिया एवं क्षमता, बाजार की सम्भावना, मूल्य निर्धारण, लाभ का आकलन सहित समस्त सम्भावित बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा।

2. परियोजना में निवेश तभी किया जायेगा जब उपरोक्तानुसार व्यवसायिक प्रस्ताव पारित एवं अनुमोदित हो चुका हो तथा इसे विभागाध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त हो चुकी हो।
3. विभागाध्यक्ष की एक बार मंजूरी प्राप्त हो जाने के उपरांत पूंजीनिवेश की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव, व्यवसायिक आवश्यकता के अनुसार पूर्व में पारित व्यवसायिक परियोजना में परिवर्तन का प्रस्ताव, प्रबंध समिति द्वारा पारित होने के उपरांत सहकारी समिति के सदस्यों के विशिष्ट बहुमत (2/3 बहुमत) के अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा। तथा इसके लिए विभागाध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी तथा लिए गये निर्णय की सूचना मात्र दिया जाना ही पर्याप्त होगा।

10. वार्षिक बजट प्रस्ताव एवं सम्परीक्षा

1. वार्षिक बजट प्रस्ताव प्रबंध समिति द्वारा पारित होने के उपरांत सहकारी समिति के सदस्यों के साधारण बहुमत के अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा। वार्षिक बजट प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष के मध्य किसी भी समय परिवर्तन का प्रस्ताव भी प्रबंध समिति द्वारा पारित होने के उपरांत सहकारी समिति के सदस्यों के साधारण बहुमत के अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा।
2. परियोजना का संचालन निर्धारित रीति से अनुमोदित व्यवसायिक प्रस्ताव एवं वार्षिक बजट प्राविधान के अनुरूप किया जायेगा। इसकी वार्षिक जांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करायी जायेगी। इस हेतु वार्षिक बजट में अपेक्षित व्यय प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं लाभ हानि विवरण पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का वार्षिक प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. धारा 64 व नियमों के अनुसार निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सम्परीक्षा दल भी इसके लेखों एवं अभिलेखों की सम्परीक्षा कर सकेंगे।
4. सहकारी समिति का लेखा सम्परीक्षा कारागार विभागीय सम्परीक्षा अथवा महालेखाकार संपरीक्षा के अधीन नहीं होगा।

11. लाभांश का वितरण

1. समिति द्वारा वार्षिक रूप से लाभांश घोषित किया जायेगा। लाभांश वार्षिक रूप से तैयार किये गये लाभ हानि विवरण पर आधारित होगा।
2. लाभ हानि विवरण को तैयार करने का दायित्व प्रबंध निदेशक का होगा जो संविदा पर नियोजित किये गये वैतनिक लिपिक/लेखाकार की सहायता से लाभ

हानि विवरण तैयार करायेगा। वार्षिक लाभ हानि विवरण की सम्परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करायी जायेगी।

3. घोषित लाभांश का 25 प्रतिशत ''पूंजीगत निवेश'' के रूप में रक्षित पूंजी/निधि लेखा में स्थाई रूप से हस्तांतरित कर दिया जायेगा। इस निधि का स्वामित्व सहकारी समिति का होगा। समिति के सदस्यों का कोई भी व्यक्तिगत दावा निधि की धनराशि पर नहीं होगा। समिति की ''रक्षित निधि'' को निबन्धक की स्वीकृति से नियम 173 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायेगा।
4. वार्षिक घोषित लाभांश में से सदस्यों को उनकी अंशपूंजी के अधिकतम् 9 प्रतिशत के बराबर लाभांश दिया जायेगा। इस धनराशि को ''सदस्यों द्वारा अर्जित लाभांश'' कहा जायेगा।
5. वार्षिक घोषित लाभांश का अधिकतम 50 प्रतिशत तक सहकारी परियोजनाओं में श्रम कार्य करने वाले सदस्यों को उनके श्रम के अनुपात में बोनस के रूप में वितरित किया जायेगा। इसे ''सदस्यों द्वारा अर्जित बोनस'' कहा जायेगा।
6. सदस्यों द्वारा अर्जित लाभांश एवं बोनस उनके निजी खातों में स्थानान्तरित किया जायेगा। सदस्य बंदीगण इस अर्जित लाभांश एवं बोनस का कारागार के भीतर उपयोग करने, अपने परिजनों के भरण पोषण हेतु भेजने, पीड़ित परिवार के भरण पोषण हेतु भेजने, न्यायिक वाद की पैरवी में व्यय करने, अपने अथवा किसी अन्य बंदी के अर्थदण्ड अदा करने, सहकारी समिति की निधि में पुनर्विनिवेश करने, अर्जित लाभांश का स्वविवेकपूर्ण निवेश करने, बंदी कल्याण के सामूहिक कार्य में दान देने हेतु स्वतंत्र होंगे।
7. सिद्धदोष बंदी ''सदस्यों द्वारा अर्जित लाभांश'' एवं ''अर्जित बोनस'' का 15 प्रतिशत धनराशि पीड़ित प्रतिकर नियमावली के अंतर्गत पीड़ित को दिये जाने हेतु एक निधि के रूप में रक्षित किया जायेगा तथा पीड़ित का निर्धारण हो जाने पर तद्नुसार नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
8. घोषित लाभांश की शेष 25 प्रतिशत धनराशि ''बंदी कल्याण कोष'' में बंदियों के सामूहिक कल्याण कार्य हेतु हस्तान्तरित की जायेगी। किंतु यह हस्तान्तरण उसी दशा में किया जायेगा जब सहकारी समिति समस्त उधार एवं ऋणों की अदायगी कर चुकी हो। यदि सहकारी समिति ने पूंजी जुटाने हेतु ऋण लिया हो तो यह धनराशि सर्वप्रथम उधार एवं ऋण अदायगी में प्रयुक्त होगी।
9. घोषित लाभांश की 1 प्रतिशत धनराशि ''सहकारी शिक्षा निधि'' को दी जायेगी।

10- समिति के सदस्यों को उनके कार्य के बदले परियोजना में निर्धारित दर पर वेतन/मजदूरी का भी भुगतान किया जायेगा। यह वेतन/मजदूरी उनके द्वारा अर्जित लाभांश से भिन्न होगी। यह वेतन/मजदूरी उत्पादन लागत का अंश होगा।